कार्यालय जनपद न्यायाधीश, इटावा

दिनांक 04.03.2017

नीलामी की विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि दस न्यायालय कक्ष भवन परिसर, एवं नई दीवानी परिसर, इटावा में फोटो स्टेट की दूकान (दो), फल व फलों के जूस की स्टॉल (दो), लाई चना व मूंगफली की स्टॉल (दो), कैन्टीन (एक) तथा हलवाई की दूकान (एक) के ठेकों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2017–18 (01.04.2017 से 31.03.2018) के लिये दस न्यायालय, कक्ष भवन के सभागार में दिनांक 27.03.2017 को सायंकाल 4.00 बजे की जायेगी। जिस व्यक्ति को ठेका लेना हो वह उक्त दिनांक, समय व स्थान पर बोली बोलने हेतु उपस्थित हों। फल व फलों के जूस की स्टॉल व लाई चना व मूंगफली की स्टॉल हेतु रू0 2000/– की सुरक्षा धनराशि तथा फोटो स्टेट की दूकान एवं कैन्टीन तथा हलवाई की दूकान के लिये रू0 10,000/– रूपये की सुरक्षा धनराशि नकद अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा देय होगी, समस्त बोली दाताओं को बोली बोलने से पूर्व दिनांक 25.03.2017 को दोपहर 12.00 बजे तक जमानत के रूप में अग्रिम जमा करना होगा। जो बोली समाप्ति पर नियमानुसार वापस की जायेगी। ठेके में अधिकतम बोलीदाता को नीलामी के पश्चात तुरन्त बोली की सम्पूर्ण धनराशि का 50 प्रतिशत जमा करनी होगी तथा शेष धनराशि का 25 प्रतिशत की धनराशि कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा तथा शेष बकाया की सम्पूर्ण धनराशि कार्य प्रारम्भ करने से 15 दिवस के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। नीलामी बोली स्वीकार या अस्वीकार करने का सर्वाधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश, इटावा को सुरक्षित रहेगा। ठेका 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक के लिये दिया जायेगा। प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को एक फार्म भरकर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्थायी निवास प्रमाण पत्र सहित नजारत में जमा करना होगा जो रू0 100/– मूल्य पर नजारत कार्यालय में दिनांक 20.03.2017 को 12.00बजे दोपहर से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं स्वीकृत शर्तों की जानकारी केन्द्रीय नाजिर, नजारत जजी, इटावा से प्राप्त की जा सकती है।

(विनोद कुमार श्रीवास्तव) 4.3.17
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1, इटावा।

प्रतिलिपि सूचनार्थ निम्न को प्रेषित :–

1. जिला अधिकारी, इटावा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
2. नाजिर विकास भवन, इटावा के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, इटावा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. दस न्यायालय कक्ष भवन, इटावा के नोटिस बोर्ड हेतु।
5. जिला सूचना अधिकारी को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने एवं समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
6. अध्यक्ष/महामंत्री, जिला बार एसोसिएशन, इटावा – नोटिस बोर्ड के चस्पा हेतु।
7. अध्यक्ष/महामंत्री, सिविल बार एसोसिएशन,इटावा – नोटिस बोर्ड के चस्पा हेतु।
8. समस्त दुकानदार/ठेकेदारों को सूचनार्थ।
9. समाचार पत्र दैनिक दिन–रात को निःशुल्क प्रकाशनार्थ ।

10. सि. प्रा. उ.न्या.के वेबसाइट पर

(विनोद कुमार श्रीवास्तव)
अध्यक्ष नीलामी समिति/
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–1, इटावा।